राकेश अस्थाना जनहित में नहीं, मोदी-शाह हित में आया

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जिस तरह यह नियुक्ति हुई है, उससे सरकार का मंसूबा सामने आ गया। राकेश अस्थाना को किसी ख़ास मिशन के तहत दिल्ली की चौकीदारी सौंपी गई है।

राकेश अस्थाना भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के गुजरात कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह फिलहाल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अस्थाना की नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई है। उनका कार्यकाल एक साल का होगा। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में विशेष निदेशक रह चुके हैं और बड़े विवादों का सामना कर चुके हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 'पहले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सर्विस के छह महीने से कम का वक्त बचा है तो फिर डीजीपी स्तर की कोई नियुक्ति नहीं होगी। खेड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्र ने सभी मानदंडों को दरकिनार कर अस्थाना को यह पोस्ट दी है।

केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है, तो सरकार को इसके पीछे की वजह बतानी चाहिए। ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसा क्या डर था? इसी से पता चलता है कि यह नियुक्ति आम नहीं बल्कि ख़ास है। राकेश अस्थाना प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बहुत करीबी। रिटायरमेंट से सिर्फ़ चार दिन पहले एक विवादास्पद अफ़सर को बिना मोदी-शाह की मर्ज़ी के नहीं लगाया जा सकता। मोदी-शाह ने ज़रूर अस्थाना को कोई टास्क दिया है जिसे वो पूरा करने आए हैं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में आए फ़ैसलों पर भाजपा और मोदी सरकार पर अदालत की उँगलियाँ उठी हैं, क्या उन दंगों की जाँच को लेकर अस्थाना को कोई योजना बनाकर दी गई है?

जिस शख़्स के खिलाफ़ तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, उसके बावजूद उसे पुलिस कमिश्नर बनाया गया तो वह ज़रूर किसी मिशन पर है। सीबीआई में जब अस्थाना को लेकर विवाद हुआ था कि उस समय यानी 2018 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था- 'राकेश अस्थाना के खिलाफ़ लगे आरोप संज्ञेय अपराध हैं। इस मामले में अस्थाना और अन्य के ख़िलाफ़ पर्याप्त संदिग्ध दस्तावेज़ हैं। जांच में उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कुछ फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी में हैं।'

अब जब मोदी और शाह ने अस्थाना को दिल्ली पुलिस का मुखिया बनाया है तो आपके लिए भी उन्हें जानना दिलचस्प होगा। पेश है उनकी खासियतें-

1.पुलिस कल्याण कोष के 20 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिए। वैसे तो इस खबर को गलत बताने वाले लोग भी है। लेकिन किसी जांच की कोई ठोस खबर नहीं है। मुंबई मिरर की 2018 की एक खबर के अनुसार आयकर विभाग ने टीडीएस काटने के संबंध में नोटिस भेजा था। इसके बाद पुलिस कल्याण कोष के संबंधित दस्तावेज गायब हो गए। धन की गड़बड़ी ऑडिट विभाग ने पकड़ी थी। 2015 में आरटीआई के तहत सूचना नहीं दी गई थी।

2.राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा और वर्मा ने अस्थाना की शिकायत की थी। आधी रात की कार्रवाई के बाद वर्मा को रिटायर हो जाने दिया गया और अस्थाना के खिलाफ जांच में क्लीन चिट मिल गई। आज उन्हें उसका इनाम भी मिल गया। आलोक वर्मा वाले मामले का क्या हुआ राम जाने। पर उनका अपराध शायद इतना ही था कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला।

3.सरकार अस्थाना को सीबीआई प्रमुख बनाना चाहती थी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पहले के आदेश का हवाला देकर उनकी उम्मीदवारी ही खत्म कर दी। कायदे से उस पैनल में नाम होना ही गलत था पर कोई बात नहीं। इस चक्कर में जो सीबीआई प्रमुख बने उनकी योग्यता चाहे जो हो आदेश जारी हुआ तो उसमें लिखा था, 'या अगले आदेश तक।' उस समय विनीत नारायण ने इसपर सवाल उठाया था। आप जानते हैं कि सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित आदेश उनकी याचिका के बाद ही आया था।

4.अब जिस ढंग से उन्हें बीएसएफ के पद को खाली छोड़कर (अतिरिक्त चार्ज देकर) रिटायरमेंट से पहले सेवा विस्तार देकर एडजस्ट किया गया है उससे सवाल पैदा होता है कि बीएसएफ का प्रमुख समय रहते क्यों नहीं तलाशा गया और कोई एक महीने दिल्ली पुलिस का काम अस्थायी प्रमुख से क्यों चलाया गया? समय की कमी या 18 घंटे काम करने का प्रचार करने के लिए। गृहमंत्री के पास समय की कमी है तो उन्हें एक नये सहकारिता मंत्रालय का भार क्यों दिया गया है।

5.सीबीआई की आधी रात की कार्रवाई राकेश अस्थाना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए की गई थी। बाद में उन्हें क्लिन चिट मिल गयी पर मामला ऐसा नहीं है कि हवा में आरोप लग गया होगा। फिर भी किसी दागी को इतना महत्वपूर्ण पद देने के मुकाबले अपेक्षाकृत कनिष्ठ या अयोग्य को यह पद देना उतना बुरा नहीं होता।

6.सीबीआई में रहते हुए अस्थाना पर मोइन कुरैशी मामले में दो बिचौलियों से 2.95 करोड़ रुपए के भुगतान का आरोप था। दूसरी ओर, वर्मा पर आरोप साबित तो नहीं ही हुए, कुछ गलत भी पाए गए हैं। इससे बात समझ में आती है लेकिन उसका कोई महत्व इन दिनों नहीं है।

7.चंडीगढ़ के दंत चिकित्सक मोहित धवन ने पुलिस पर अवैध वसूली, प्रताड़ना एवं

जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई शिकायत को 16 महीने से अधिक समय से दबा कर बैठे हैं और याचिकाकर्ता को नहीं बताया जा रहा है कि इस शिकायत के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। धवन ने अदालत से अनुरोध किया था कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के प्रमुख राकेश अस्थाना पर उनके आरोपों के आधार पर जांच करने और फौजदारी मामला चलाने के निर्देश दिए जाएं। बाद में उन्होंने यह मामला वापस ले लिया कि वे हाईकोर्ट जाएंगे। (भाषा, 8 फरवरी 2021)

8.ऊपर के मामले में पता चलता है कि चुनाव के समय और खास मौकों पर सक्रिय हो जाने वाले कुछ सरकारी विभाग आम लोगों के मामले में कितनी तेजी से और कैसी कार्रवाई करते हैं। आज अस्थाना साब विशेषता चारा घोटाले की जांच बताई जा रही है। मुझे इनकी जांच की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। और सरकार ने ईनाम देने की जो मजबूरी दिखाई है उससे मेरी ऐसी राय बनी है। आप इस बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

9.सीबीआई प्रमुख से भिड़ंत के बाद दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके खिलाफ आलोक वर्मा अदालत गए और उन्हें बहाल किया गया। राकेश अस्थाना हाईकोर्ट गए जहां उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा। इसके बाद गिरफ्तारी की तैयारी की खबर थी पर उन्हें पद से हटा दिया गया। (पता नहीं सूचना पेगासुस से मिली थी या कैसे)

10.दुबई में सतीश साना से मुलाकात के दौरान सोमेश प्रसाद ने कहा कि राकेश अस्थाना गत वर्ष लंदन में उसके आवास पर ठहरे थे। उसी समय सोमेश ने सामंत गोयल और परवेज हयात के साथ अपने संबंध होने की बात कही थी। तीन करोड़ रुपये रिश्वत मामले में सोमेश वह कड़ी है, जो लगातार सीबीआई अधिकारियों के संपर्क में रहा है। सोमेश का भाई मनोज प्रसाद भी इस मामले में नामजद हैं।

11.प्राथमिकी के अनुसार 13 फरवरी 2018 को डीएसपी देवेंद्र कुमार ने ई-मेल से सतीश साना को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा था। यह नोटिस मिलने के बाद वह परेशान हो गया कि 2.95 करोड़ रुपये देने के बाद भी उसे नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद उसे एक और नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने पर सतीश साना ने मनोज प्रसाद से संपर्क किया कि यह क्या हो रहा है। इस पर मनोज ने कहा कि जो बैलेंस पेमेंट दो करोड़ देना है वह दे दो उसके बाद सीबीआई तुम्हें पूरी तरह से राहत दे देगी। ईमानदार सरकार ने इस मामले की जांच तो नहीं ही करवाई एक अभियुक्त को ऐसा इनाम दिया कि दूसरे के निष्पक्ष होने का भी भरोसा नहीं रहा। देश में यह सीबीआई और सरकार की कार्यशैली रही है। (बिन्दु 10 और 11, हिन्दुस्तान, 25 अक्तूबर 2018 से)

12.राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस याचिका पर सुनवाई करने से हाई कोर्ट के जज योगेश खन्ना ने अज्ञात कारणों से खुद को अलग कर लिया था। यह याचिका ऊपर उल्लिखित डॉ. मोहित धवन की थी। सुनवाई जस्टिस सुरेश कुमार कैत की सिंगल बेंच में हुई। उन्होंने कहा कि मोहित धवन द्वारा बताई गई शिकायतें पहले से ही बंद कर दी गई है। पाठक फैसले के बारे में कोई राय बनाने से पहले पूरे मामले को ठीक से समझ लें। यहां विस्तार में जाना संभव नहीं है। (आजतक, 15 फरवरी 2021)

13.अस्थाना शुरू में लाल कृष्ण आडवाणी के काफी करीब थे। 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अस्थाना को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी त्रासदी जिसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है, की जांच के लिए कहा गया। अस्थाना ने ही पहली बार सार्वजनिक बयान देते हुए इसे सोची-समझी साजिश करार दिया था। भीतरखाने लोगों का कहना है कि एसआईटी का नेतृत्व करने के लिए अस्थाना की नियुक्ति वास्तव में मोदी की मदद करने का आडवाणी का आइडिया था। आज जिस ढंग से उन्हें इनाम दिया गया है उसे सेवकों का ख्याल रखने की मोदी शैली कही जा सकती है।

14.जैसे-जैसे मोदी का कद बढ़ता गया और वह आडवाणी से दूर होते चले गए, अस्थाना ने भी सीएम से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी। अस्थाना के करीबी होने का दावा करने वाले एक उद्योगपति ने मिरर को बताया, 'मोदी भक्त बनने के लिए हमने 2002 में अस्थाना को चिढ़ाया था। हालांकि उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया।' (बिन्दु 13, 14, नवभारत टाइम्सइंडियाटाइम्स डॉट कॉम से)

15.सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि राकेश अस्थाना के खिलाफ़ लगे आरोप संज्ञेय अपराध हैं। उसके पास इस मामले में अस्थाना और अन्य के खिलाफ़ पर्याप्त संदिग्ध दस्तावेज़ हैं। सीबीआई ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कुछ फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी में हैं। (बीबीसी, एक नवंबर 2018)

दैनिक भास्कर की तीन साल पुरानी (2018 की) एक खबर के अनुसार वडोदरा की स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी में मुंबई और उटी स्थित इमारतों पर 28 जून 2011 को आयकर विभाग ने छापा मारा था। 25स्थानों पर जब्त दस्तावेजों से राकेश अस्थाना समेत आयकर के तीन अधिकारियों और कांग्रेस के एक बड़े नेता के दामाद के साथ नकद या अन्य रूप से लेन-देन की बात सामने आई थी। कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने नवंबर 2011 में राकेश अस्थाना की सीबीआई में हुई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। डायरी में लिखे गए नामों के आधार पर अगस्त 2017 में पहली शिकायत दर्ज हुई थी। इसी मामले में अक्टूबर 2017 में बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। डायरी में राकेश अस्थाना का नाम 'आर ए' कोड वर्ड में लिखा गया था। डायरी से राकेश अस्थाना की बेटी की शादी में खर्च हुए करोड़ों रुपए का आंकड़ा सामने आया है। अस्थाना के बेटे का स्टर्लिंग बायोटेक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान किए गए आर्थिक लेन-देन का ब्यौरा भी डायरी से मिला था। अस्थाना का बेटा अंकुश असिस्टैंट मैनेजर के पद पर एक साल तक स्टार्लिंग बायोटेक में था। सांडेसरा परिवार ने वडोदरा में गरबा का आयोजन किया गया था। गरबा से इकट्ठा रकम में से एक करोड़ रुपए ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट में जमा कराया गया था। वीटीएफटी द्वारा ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों को ट्रेंड कर शहर में तैनात किया जाता है।

सांडेसरा और अस्थाना के बीच गहरे संबंध होने के कारण अस्थाना की बेटी की शादी वडोदरा में हुई थी। कॉमन कॉज के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया था कि उस दौरान अस्थाना की पोस्टिंग दिल्ली में थी, इसके बावजूद वडोदरा में शादी क्यों की गई? शादी के बाद ही अस्थाना की सीबीआई में नियुक्ति हुई थी। अस्थाना के लिए नई पोस्ट बनाई गई थी। नियुक्ति के बाद प्रशांत भूषण ने कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को योग्य पाया था। राकेश अस्थाना की पत्नी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। अस्थाना जब वडोदरा में पुलिस कमिश्नर थे तब उनकी पत्नी ने शहर के उद्योगपतियों को इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी। अस्थाना की पत्नी ने पॉलिसी से तगड़ी कमाई की थी।

असम-मिजोरम ऐसे लड़े जैसे दो देश लड़ रहे हों

पलाश सुरजन

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार की विभाजनकारी नीतियों का एक और परिणाम पूर्वोत्तर राज्य के असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा के रूप में देखने को मिला है। सोमवार को मिजोरम की ओर से कुछ तत्वों द्वारा सीमा पर गोलीबारी की गई। इसमें पुलिस के छह जवान शहीद हो गये वहीं एक पुलिस अधीक्षक समेत 50 लोग घायल हुए हैं। जब दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी बातचीत कर रहे थे उसी दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने गोलियां चला दीं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस ने उनके नागरिकों पर लाठीचार्ज किया तथा आंसूगैस के गोले छोड़े।

दोनों ही राज्यों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित तथा असम के कछार, हैलाकांडी तथा करीमगंज जिले आपस में करीब 165 किमी की सीमा बनाते हैं। इन दोनों ही राज्यों के नागरिक एक-दूसरे पर घुसपैठ करने का आरोप लगाते रहे हैं। यह हिंसा ऐसे वक़्त में हुई है जब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। तब भी सीमा विवाद पर चर्चा हुई थी। शाह ने इस विवाद को सामंजस्य तरीके से हल करने एवं हिंसा न करने को कहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अर्थात जोरामथांगा और असम के हिमंत बिस्वा सरमा एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों के बीच ट्विटर युद्ध भी छिड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत के उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। यह क्षेत्र एक संकरे गलियारे द्वारा भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। अनेक पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों से लगती हैं। इन राज्यों पर लंबे समय से चीन की नजर है और वह वहां अशांति फैलने तथा घुसपैठ का हमेशा से आकांक्षी रहा है। अनेक पूर्वोत्तर राज्य जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के विवाद झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी सीमा विवादों में भी उलझे हुए हैं। भाजपा प्रशासित असम पहले मुख्य राज्य हुआ करता था जिसके कई बार विभाजन और पुनर्गठन से इस क्षेत्र में कई अन्य राज्य बने हैं।

पूर्ववर्ती केन्द्र सरकारें हमेशा से संघीय ढांचे का सम्मान करती रही हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र आपस में बंधा हुआ रहा। ऐसे आपसी विवाद उभरते तो रहे हैं लेकिन उन्हें शांत करने के गंभीर प्रयास हुए हैं। भाजपा के केन्द्र में आने के बाद नागरिकों और राज्यों के बीच तनाव तथा मतभेदों को हवा मिलती आई है। अपने चुनावी एजेंडे के तहत भाजपा हमेशा ऐसे आंतरिक विभाजनों का फायदा लेने की कोशिशें करती हैं जिनसे राज्यों को भी इन विवादों को तूल देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। भाजपा को अपने राजनैतिक और चुनावी हितों को परे रखकर पूर्वोत्तर राज्यों को इसलिए एक धागे में पिरोकर रखने की नीति अपनानी होगी क्योंकि यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक महत्व का है तथा बेहद संवेदनशील भी।

इन पूर्वोत्तर राज्यों की कई समस्याएं हैं। बड़ी आबादी के अवैध घुसपैठ के कारण स्थानीय आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधनों पर दबाव संबंधी मुद्दे यहां हावी रहते हैं। लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी सहित अपराधियों का सीमा पार से अवैध

आवागमन होता रहता है। इस क्षेत्र में व्यापक सांस्कृतिक, सामुदायिक और जातीय विविधता भी परस्पर संघर्ष का कारण बनती रहती है। समग्र राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर इन सीमा विवादों को तत्काल सुलझाकर सीमाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यहां के नागरिकों को रोज़गार और बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

यह दुर्भाग्यजनक है कि इन क्षेत्रों में अनेक राज्य एक दूसरे से साथ सीमा विवादों में उलझे रहते हैं। इनमें असम और नागालैंड के बीच 1963 से विवाद चल रहा है। असम का दावा है कि नागालैंड ने उसके 50 हजार हेक्टर से अधिक की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। 1968, 1979 और 1985 में दोनों राज्यों के बीच हिंसक संघर्ष देखे गये थे। असम और मेघालय के बीच 1971 से विवाद चल रहा है। मिकिर पहाड़ी, संयुक्त खासी और जंटिया पहाड़ियों पर दोनों राज्य दावा करते हैं जिसके कारण इन राज्यों के नागरिकों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। ऐसे ही, असम और अरूणाचल प्रदेश के बीच 1972 से झगड़ा चालू है। अरूणाचल वालों का असम के लोगों पर अतिक्रमण का आरोप है। उधर अरूणाचल प्रदेश व मिजोरम के बीच अलग सीमा विवाद जारी है। यहां भी 1992 में कई झड़पें हुई थीं। अरूणाचल प्रदेश सरकार का आरोप है कि असमिया लोग उनके क्षेत्र में घर, बाजार तथा पुलिस स्टेशन बना रहे हैं।

केन्द्र सरकार को तेजी से पहल कर न केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा विवादों को सुलझाना होगा बल्कि इस संवेदनशील और सामरिक महत्व के राज्यों के बीच सीमा विवादों के स्थायी हल ढूंढने होंगे। आंतरिक शांति के बिना विदेशी दबावों को झेल पाना खासा मुश्किल होगा।